न्यायालयः–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन जिला बून्दी

पीठासीन अधिकारी :– **डॉ. ऋचा चायल,आर.जे.एस.**

सी.आई.एस.संख्या :– **261 / 2025**

सी.एन.आर. नम्बर :– **RJBD080007002025**

1. मधुबाला पत्नी रामावतार पुत्री बाबूलाल, निवासी ग्राम खेड़ली तंवरान, तहसील दीगोद, जिला कोटा, हाल निवास के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)
2. सुमित कुमार पुत्र रामावतार जरिये संरक्षक माता मधुबाला पत्नी रामावतार,
3. ऋषभ कुमार पुत्र रामावतार जरिये संरक्षक माता मधुबाला पत्नी रामावतार,

निवासीगण ग्राम खेड़ली तंवरान, तहसील दीगोद, जिला कोटा, हाल निवास के.पाटन, जिला बून्दी (राज.)

––प्रार्थीगण

–बनाम–

रामावतार पुत्र किशनलाल, निवासी ग्राम खेड़ली तंवरान, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.)

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थिति :–

1. श्री जफर शरीफ, अधिवक्ता – प्रार्थिया की ओर से।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

आदेश **दिनांकः–20.04.2026**

1. प्रार्थिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया का विवाह वर्ष 2007 में हिन्दू रीति रिवाज अनुसार के.पाटन में आयोजित मेघवाल समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलन में अप्रार्थी से हुआ था। प्रार्थिया की शादी के समय सामुहिक विवाह सम्मेलन समिति द्वारा दैनिक जीवन यापन में काम आने वाली सामग्री दी गई थी। उस समय प्रार्थिया के माता–पिता ने

शादी में प्रार्थिया को घर गृहस्थी का समस्त सामान, सोने चांदी के जेवरात दिये थे। प्रार्थिया ने अपने ससुराल में आकर पूरी निष्ठा व इमानदारी से अपने पत्नी होने का धर्म निभाते हुए अपने पति व सास, ससुर की अच्छे से सम्मान जनक रूप से सेवा करना शुरू कर दिया। विवाह के करीब एक वर्ष बाद से ही प्रार्थिया को अप्रार्थी व उसके माता–पिता दहेज की मांग को लेकर परेशान प्रताड़ित करने लगे और प्रार्थिया से अप्रार्थी व उसके माता–पिता कहते कि तेरा बाप कंजूस था, सरकारी अध्यापक होते हुए भी सम्मेलन में तेरी शादी हमारे लड़के से कर दी और प्रार्थिया से दहेज में दस लाख रूपए लेकर आने की मांग करने लगे। प्रार्थिया को अप्रार्थी व उसके माता–पिता दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करते। प्रार्थिया को अप्रार्थी के नुत्फे से मई, 2009 में एक पुत्र सुमित कुमार पैदा हुआ, जो वर्तमान में 17 वर्ष का है। पुत्र होने के बाद प्रार्थिया ने सोचा कि अब अप्रार्थी व उसके माता–पिता दहेज की मांग करना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अप्रार्थी व उसके माता–पिता दहेज में दस लाख रूपए लाने की मांग को लेकर पहले से ज्यादा मारपीट व प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थिया को अप्रार्थी के नुत्फे से दूसरा पुत्र ऋषभ कुमार पैदा हुआ, जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष है। फरवरी, 2020 में अप्रार्थी व उसके माता–पिता द्वारा दोनों पुत्रों के साथ दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया और प्रार्थिया से कहा कि तेरे बाप से दस लाख रूपए लेकर आयेगी तभी तुझे यहां रखेंगे, नहीं तो हमारे लडके की दूसरी जगह शादी करेंगे। प्रार्थिया के पिता ने अप्रार्थी व उसके माता–पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने प्रार्थिया को दहेज में दस लाख रूपए दिए बिना रखने से साफ मना कर दिया। जुलाई, 2020 में अप्रार्थी व उसके माता–पिता प्रार्थिया के पीहर के.पाटन घर पर आये और प्रार्थिया व उसके पिता से कहा कि दहेज में दस लाख रूपए दोगे तो तुम्हारी बेटी को लेकर जायेंगे, नहीं तो हमारे लड़के की अन्य जगह शादी करेंगे। प्रार्थिया के पिता ने कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं कर सकता, जिस पर अप्रार्थी व उसके घरवाले प्रार्थिया व उसके माता–पिता में गाली गलौच कर वहां से चले गए। प्रार्थिया का बड़ा लड़का सुमित कुमार वर्तमान में प्राईवेट स्कूल में कक्षा 11 में एवं छोटा लड़का ऋषभ कुमार कक्षा 7 में पढ़ रहा है, जिसका खर्चा भी प्रार्थिया नहीं उठा पा रही है। प्रार्थिया के पिता के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अप्रार्थी पढा लिखा व्यक्ति है जो प्राईवेट कार्य करता है, जिससे अप्रार्थी को 20,000/–रूपए प्रतिमाह की आय होती है। अप्रार्थी के खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि के खाता संख्या 34 के कुल किता 19 कुल रकबा 8.58 हेक्टेयर वाके ग्राम खेडली तवरांन में विस्थित है, जिसमे अप्रार्थी का 1/12 हिस्सा लगभग 5 बीघा है, जिसमे अप्रार्थी सालाना 4,00,000/–रूपए कमा लेता है। इसके अलावा

अप्रार्थी के खाते एवं स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या 79 कुल किता 3 कुल रकबा 3.67 हेक्टेयर ग्राम झोटोली कोटा में स्थित है जिसमे भी अप्रार्थी का 1/12 हिस्सा निहित है, जो लगभग 2 बीघा है, जिससे अप्रार्थी को प्रतिमाह 60,000/–रूपए की आय होती है। अप्रार्थी के पिता किशनलाल के खाते एवं कब्जे की पुश्तैनी कृषि भूमि के खाता संख्या 34 कुल किता 19 रकबा 8.58 हेक्टेयर ग्राम खेडली तवरांन, जिला कोटा में स्थित है जिससे अप्रार्थी के प्रतिमाह 20,000/–रूपए की आय होती है। इस प्रकार अप्रार्थी समस्त स्त्रोतों से प्रतिमाह 1,00,000/–रूपए कमा लेता है। प्रार्थिया को अपने व दोनों पुत्रों के भरण पोषण के लिए 30,000/–रूपए मासिक की आवश्यकता है। अंत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रावधानित सम्पत्ति शपथ पत्र पेश किया गया है।

2. अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया, बाद तामिल अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 11.11.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

3. प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

4. सुना गया। पत्रावली पर पेश किये अभिकथनों के आधार पर पेश किये गये प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को निम्न विचारणीय बिन्दु पर विवेचन किया जाना है :–

1. क्या अप्रार्थी रामावतार पर्याप्त साधन होने के बाद भी स्वयं की पत्नी व बच्चों के भरण पोषण में उपेक्षा कारित कर रहा है?
2. यदि हॉ, तो प्रार्थिया के भरण पोषण के लिए आवश्यक विधिसम्मत आदेश क्या है?

<u>विचारणीय बिन्दु 1</u>

5. उक्त बिन्दु को साबित किये जाने का भार प्रार्थिया पर है, जिसे साबित किये जाने के लिये प्रार्थिया द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र में इस

आशय के कथन किये गये हैं कि उसका विवाह अप्रार्थी रामावतार के साथ हिन्दू रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र में इस आशय के तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किये गये हैं कि विवाह के पश्चात अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया से दहेज में 10,00,000/– रूपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। वर्तमान में प्रार्थिया अपने पिता के घर निवास कर रही है तथा प्रार्थिया स्वयं के भरण पोषण के लिये स्वयं की कोई आय का स्त्रोत नहीं रखती है। पत्रावली पर प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी से अलग निवास किये जाने का स्पष्ट कारण अप्रार्थी का दहेज की मांग कर शारीरिक व मानसिक कूरता पूर्ण व्यवहार अंकित किया गया है। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र पेश कर अप्रार्थी का प्राईवेट कार्य करना, जिससे अप्रार्थी को 20,000/–रूपए प्रतिमाह आय होना, अप्रार्थी के खाते में 5 बीघा जमीन होना जिससे अप्रार्थी को 4,00,000/–रूपए सालाना आय होना, अप्रार्थी के खाते में 2 बीघा जमीन होना जिससे अप्रार्थी को 60,000/–रूपए प्रतिमाह आय होना, अप्रार्थी के पिता किशनलाल की कृषि भूमि से अप्रार्थी को 20,000/–रूपए प्रतिमाह की आय होना, इस प्रकार अप्रार्थी की प्रतिमाह 1,00,000/–रूपये की आय अर्जित किया जाना जाहिर किया गया है।

6. पत्रावली पर पेश किये गये साक्ष्य से यह प्रमाणित तथ्य है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की विवाहित पत्नी है, जिसके भरण पोषण की विधिक तथा नैतिक जिम्मेदारी अप्रार्थी की है। प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी का प्राईवेट कार्य करना जाहिर किया है और प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के पास कृषि भूमियां होने के संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए हैं।

7. इस संबंध में विधिक दायित्व से संबंधित प्रावधान का अवलोकन किये जाने से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट है कि केवल अप्रार्थी की ही स्वयं की पत्नी के भरण पोषण की नैतिक तथा विधिक जिम्मेदारी है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया के द्वारा अप्रार्थी से अलग रहने का कारण अप्रार्थी द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना जाहिर किया गया है जिसका खंडन अप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के बाद प्रार्थिया के भरण पोषण के दायित्व का निर्वहन किये जाने से संबंधित कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। एतद्द्वारा इस स्तर पर न्यायालय उपरोक्त विवेचन से यह इस स्तर पर प्रमाणित पाता है कि अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त साधन होने के बाद स्वयं की पत्नी व बच्चों के भरण पोषण की उपेक्षा की गई है। अतः विचारणीय बिंदु संख्या–1 प्रार्थिया के पक्ष में तय किया जाता है।

आदेश

8. विचारणीय बिंदू संख्या–1 प्रार्थिया के पक्ष में तय किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थी एकपक्षीय स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी रामावतार प्रार्थिया के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 4,000 / – रूपए (अक्षरे चार हजार रूपये) तथा उसके दोनों पुत्रों के भरण पोषण के लिए प्रत्येक को प्रतिमाह 2,000 / –2,000 रूपए (अक्षरे दो हजार रूपये), इस प्रकार कुल 8,000 / –रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की दिनांक 10.06.2025 से अदा करेगा। उक्त दोनों पुत्र सुमित व ऋषभ उक्त राशि उनकी 18 वर्ष (बालिग होने) की आयु तक ही प्राप्त करेंगे। उक्त राशि अप्रार्थी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रार्थिया को अदा करेगा। इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य किसी प्रकरण में प्रार्थिया के द्वारा प्राप्त की जा रही भरण पोषण की राशि समायोजित समझी जायेगी। प्रार्थिया के द्वारा जरिये रजिस्ट्री स्वयं का बैंक खाता संख्या अप्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने पर अप्रार्थी प्रार्थिया के खाते में भरण पोषण राशि जमा करवा सकेगा।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी

9. आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. ऋचा चायल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
के.पाटन, जिला बून्दी